

27/9/19

पषावली वास्ते निरिच पेश दुई। उअपपक के इगिापक उपलित। उअपपक की बसक पर मनन किा। पषावली का अवलोकक किा। वादीगण का वाद डिही किने जाने योग्य नहीं होने के कारण खाकि किा जाता है। डिही जागी हो। निरिच प्रपक से लिखवाया अकशु शागिल पषावली किा गया। पषावली फेतल कुपार होकर बाउ तमनील बांजिल दपतर हो।



उपखण्ड मजिस्ट्रेट भेद मु. सीकर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

ग 3/1/2
अपपन
का 3
रिडी
कार
ले
शा
- सु
र
इ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी- राजपाल यादव, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा- राजस्व वाद / 12 / 2016

1. टीकूराम पुत्र ईशर राम
2. रणजीत पुत्र ईशर राम
3. केशरदेव पुत्र ईशर राम
4. नेमीचंद पुत्र ईशर राम
5. धन्नी बेवा ईशर राम

समस्त जाति जाट निवासीगण रामपुरा हाल आबाद कासली तहसील धोद जिला सीकर
ब नाम

-वादीगण

1. पन्नाराम पुत्र रिडमल
2. छोटूराम पुत्र रडमल
3. जैसाराम पुत्र तिलोकाराम
4. भागीरथमल पुत्र तिलोकाराम
5. मदन लाल पुत्र तिलोकाराम
6. बलबीर पुत्र तिलोकाराम
7. लच्छी पुत्री तिलोका राम
8. मूनाराम पुत्र लच्छा
9. गोविन्द पुत्र लच्छा
10. लाड़ा बेवा लच्छा
11. मनशाराम पुत्र मोटाराम
12. भीवाराम पुत्र मोटाराम
13. रिछपाल पुत्र मोटाराम
14. रूकमा पुत्री भूदाराम
15. परता राम पुत्र दूदाराम
16. भीवाराम पुत्र दूदाराम
17. भूरी बेवा दूदाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण रामपुरा हाल आबाद कासली तहसील धोद जिला सीकर
तहसीलदार, तहसील धोद जिला सीकर

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रेकॉर्ड दुरुस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम एवं अ.धा. 136 एल आर एक्ट



उपस्थिति-

1. श्री भागीरथमल जाखड़ वकील वादीगण की ओर से
2. श्री महेश जाखड़ वकील प्रतिवादीगण सं. 1 ता 17 कि ओर से

सत्यमेव जयते

-निर्णय-

दिनांक- 27.09.2019

Web Copy - Not Official

Riy
उपखण्ड मजिस्ट्रेट धोद मु. सीकर

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि आराजियात खसरा सं. 302 रकबा 1.62 हैक्टेयर, खसरा सं. 303 रकबा 1.23 हैक्टेयर वाके ग्राम रामपुरा तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित है, जो वादीगण के खाते कब्जे व काश्त की भूमि है तथा वादीगण ही उक्त आराजियात पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। उक्त वादग्रस्त आराजियात वादीगण के हिस्से के बाहमी बंटवारे में आई हुई है तथा वादीगण ही उक्त आराजियात पर काबिज है। वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादीगण के हिस्से में अन्य आराजियात आई हुई है। यह कि उक्त आराजियात के वागदीण बहैसियत खातेदार काश्तकार होने के बावजूद भी सहवन से आराजियात में खातेदारी गलत रूप से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गई है जिसकी रेवेन्यू रिकार्ड दुरुस्ती वादीगण के पक्ष में किया जाना न्याय संगत है। उक्त आराजिया में वादीगण बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज होने के बावजूद भी गलत खातेदारी की आड़ में प्रतिवादीगण वादीगण के खातेदारी अधिकारों में दखलंदाजी कर रहे है तथा वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है। 5 दिन पूर्व प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के खातेदारी अधिकारों को चुनौती देने पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने व बेदखल करने की धमकी देने पर दावा पेश करना आवश्यक हुआ। न्यायालय को दावा सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी सं. 18 भूमिधारी प्रतिनिधि होने से पक्षकार बनाया है। दावा उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद न्यायालय में पेश किया गया है। अतः वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर आराजियात खसरा सं. 302 रकबा 1.62 हैक्टेयर, खसरा सं. 303 रकबा 1.23 हैक्टेयर वाके ग्राम रामपुरा तहसील धोद जिला सीकर का वादीगण को खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावे कि वे वादीगण के खातेदारी अधिकारों में दखलंदाजी करने से बाज रहे। उक्त आराजियात की जमाबंदी में प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाकर संपूर्ण आराजियात वादीगण के नाम दर्ज की जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 17 कि ओर से उनके अभिभाषक श्री महेश जाखड़ ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश कर वादीगण के वाद के डिक्री किये जाने पर कोई एतराज नहीं है बाबत इकबाली जवाब दावा पेश किया। साक्ष्य में वादीगण ने वाद के समर्थन में रणजीत एवं श्रीपाल के शपथ-पत्र पेश किये गये, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया।



उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने बहस के दौरान कथन किया कि उक्त आराजी का वादीगण को खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। उक्त दावे में मूल प्रश्न यह है कि क्या विवादित आराजी खसरा सं. 302 रकबा 1.62 हैक्टेयर, खसरा सं. 303 रकबा 1.23 हैक्टेयर वाके ग्राम रामपुरा की खातेदारी सहवन से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुई या नहीं? पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2065-2068 वाके ग्राम रामपुरा के अनुसार खसरा सं. 302 रकबा 1.62 हैक्टेयर, खसरा सं. 303 रकबा 1.23 हैक्टेयर की खातेदारी तिलोका पना छोटू पि. रिड़मल लच्छा मोटा भूदा दूदा धन्ना ईसर पि. बालू जाति जाट सा. देह के नाम पर दर्ज है। पत्रावली में अन्य ऐसा कोई भी राजस्व रिकॉर्ड संलग्न नहीं है तथा न ही वादीगणों ने पेश किया है, जिससे यह साबित हो सके कि उक्त विवादित आराजी की खातेदारी पूर्व में वादीगणों के नाम पर दर्ज थी, जो कालान्तर में सहवन से या राजस्व कार्मिकों की गलती से प्रतिवादीगणों के नाम दर्ज कर दी गई हो। पुनश्च वादीगणों ने विवादित आराजी पर अपना कब्जा, काश्त होना बताया है, लेकिन केवल मात्र कब्जे के आधार पर कोई भी व्यक्ति आर.टी.ए. की धारा 88 के तहत उद्घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। जहां तक दोनों पक्षों (वादीगण एवं प्रतिवादीगण) में सहमति

सुब्बालय सीकर

का प्रश्न है, वहां यह स्पष्ट कानूनी सिद्धान्त है कि सहमति के अनुसार कोई भी निर्णय तभी किया जा सकता है, जबकि दोनों पक्षों की सहमति विधि के अनुसार हों। उक्त प्रकरण में दोनों पक्षों के बीच सहमति आर.टी.ए. की धारा 88 के प्रावधानों के विरुद्ध है। उक्त सहमति के अनुसार खातेदारी की उद्घोषणा करने से सरकार को स्टाम्प ड्यूटी की क्षति भी कारित होगी।

अतः उपर्युक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किये जाने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हों। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 27.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।



(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी, धौद मु. सीकर
उपखण्ड मजिस्ट्रेट धौद मु. सीकर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, धोद मु० सीकर
बड़जलास राजपाल यादव आर.ए.एस.

टीकूराम आदि

बनाम

पन्नाराम आदि


दावा बाबत उदघोषणा एवं रेकॉर्ड दुरुस्ती

मुकदमा नम्बर- 12/2018

निर्णय दिनांक- 27.09.2019

यह मुकदमा आज वास्तो इनफिसाल कतई रुबरु राजपाल यादव आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर बहाजिरी श्री भागीरथमल जाखड़ मिनजानिब मुददई रुबरु श्री महेश जाखड़ मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद डिक्री किये जाने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हों।

यह आज तारीख 27.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी



Riy

(राजपाल यादव)

उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड मुद्रा मु. सीकर

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	